27-8-19 वकील वादी उपस्थित प्रार्थना-पत्र पेश कर...
पत्रावली को पेशी में लिया गया वकील प्रतिवा...
उपस्थित राज पेशकार उपस्थित जवाब म...
पेश किया शामिल पत्रावली किया गया ...
के राजीनामा होने पर तनकीयात नहीं बना...
गई बहस सुनी गई बहस पर मनन कि...
गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद
अवलोकन बाद वादी पोषणीय पाये जा...
पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने...
डिक्री जारी की जावे। पत्रावली नम्बर...
कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

राजस्था...

न्यायालय उपर...
पीठासीन अधिकारी :-
राजस्व वाद संख्या :-
1 गोविन्द सिहं...
पुरुषोतमवास...

1 गुरलाल सिहं...
(फतेहगढ़) तह...
2 समनदीप कौ...
कुम्हारसिख, ...
3 रमनदीप कौर...
कुम्हारसिख, ...
4 तहसीलदार (र...

दावा अन्तर्गत ...

1. श्री अशोक कुम...
2. श्री अमरजितसि...
3. राज पैराकार

वादी द्वारा प्रति...
इस न्यायालय में प्रस्तुत...
प्रतिवादीगण संख्या 2 व...
है। वादी व प्रतिवादीगण...
सिहं पुत्र श्री मितसिहं...
निम्नलिखित विवरण की...
2066—2069 संलग्न है :...

खाता संख्या ...
124 / 112
125 / 21
126 / 115
127 / 116

वादी के दादा श्री...
भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व...
भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व...
खाता संख्या 48 / 41 स...

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 245/2019

1 गोविन्द सिंह पुत्र श्री गुरलाल सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 10, पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 गुरलाल सिहं पुत्र स्व. श्री शेर सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 समनदीप कौर (पुत्री श्री गुरलाल सिह) धर्मपत्नि श्री जसविन्द्र सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 3 नन्दराम की ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 रमनदीप कौर (पुत्री श्री गुरलाल सिह) धर्मपत्नि श्री जसकरण सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 3 अयालकी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अशोक कुमार भादू अधिवक्ता	वादी
2. श्री अमरजितसिंह संन्धु अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. राज पैराकार	प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::– दिनांक :–27.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का पिता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 वादी की सगी बहिने है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. श्री शेर सिहं पुत्र श्री मितसिहं की व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के नाम चक 23 एच.एम.एच. में निम्नलिखित विवरण की भूमि थी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 23 एच.एम.एच. सम्वत 2066–2069 संलग्न है :–

खाता संख्या	पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
124/112	98/287	(25)	3/.127, 4–5	0.633 हैक्टर
	98/290	(45)	10/1	0.127 हैक्टर
125/21	101/288	(29)	16 से 18, 21 से 25	2.024 हैक्टर
	101/289	(41)	1 से 4, 7	1.265 हैक्टर
126/115	102/288	(30)	1 से 25	6.325 हैक्टर
127/116	102/289	(40)	1 से 4, 7 से 13	2.656 हैक्टर
	101/290	(41)	5–6	0.506 हैक्टर
		कुल भूमि		13.536 हैक्टर

वादी के दादा श्री शेर सिहं पुत्र श्री मितसिहं का देहान्त होने उपरान्त उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को निम्नलिखित विवरण की भूमि विरासतन प्राप्त हुई वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 48/41 सम्वत 2074–2077 संलग्न है :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
101/288	(29)	21	0.253 हैक्टर
102/288	(30)	1, 10, 11, 20, 21, 22	1.518 हैक्टर
101/289	(41)	1 से 4	1.012 हैक्टर
98/290	(45)	2/2	0.152 हैक्टर

कुल भूमि :– 2.935 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने से सहदायिक सम्पति है तथा इस भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मतः हक व अधिकार (Pre existing right) है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अपने हक व हिस्सा अनुसार बंटवारा हुआ है तथा बंटवारा के दिवस से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर बंटवारा अनुसार काबिज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त वर्णित भूमि में निम्नलिखित अनुसार कब्जा काश्त है :-

(क) वादी के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :-

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
102/288	(30)	1, 10, 11, 20, 21, 22	1.518 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता

(ख) प्रतिवादी संख्या संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :-

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
101/288	(29)	21	0.253 हैक्टर
101/289	(41)	1 से 4	1.012 हैक्टर
98/290	(45)	2/2	0.152 हैक्टर

कुल भूमि :- 1.417 हैक्टर मय गैर गुमकिन रास्ता

उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरु बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारा के दिवस से उक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मुताबिक घराघरु बंटवारा आधिपत्य व धारण में है तथा वे प्रश्नगत भूमि घरु बंटवारा अनुसार काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 अपने ससुराल में निवास कर रही है जिसके विवाह आदि सामाजिक संस्कारों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त रूप से काफी मात्रा में दान-दहेज दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने प्रश्नगत भूमि में अपने समस्त हिस्सा को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का अब इस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है।

वादी का वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि में पैतृक सम्पति होने के नाते पूर्व विद्यमान हक व हित नीहित है तथा प्रत्येक वादी उक्त भूमि 1.518 हैक्टर का खातेदार है लेकिन राजस्व अभिलेख में अभी तक वादी के नाम यह भूमि दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने से उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के मुश्तहक व दावेदार हैं कि वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि के वादी 1.518 हैक्टर का खातेदार काश्तकार हैं।

चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 44/41 की भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। वादी मुताबिक घोषणा उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाते हुये खाता विभाजन का अधिकारी हैं।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से अर्सा 1 सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित अनुसार हुये बंटवारा के अनुसार चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या-44/43 में वर्णित भूमि में वादी की 1.518 हैक्टर अर्थात 6 बीघा भूमि होना स्वीकार कर लेवे तो वह टालमटोल करने लग गया। यही वाद कारण है। वाद पत्र वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा वादी द्वारा याचित अनुतोष माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। अतः यह वाद पत्र 2/-रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है जो हर प्रकार से अन्दर मियाद है। अतः वादपत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :-

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(क) घोषणा फरमाई जावे कि चक 23 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 48/41 सम्वत 2074-2077 तादादी 2.935 हैक्टर मय गैरमुमकिन रास्ता, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में वादी 1.518 हैक्टर अर्थात 6 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

(ख) मुताबिक घोषणा वादी का चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 48/41 के पत्थर नम्बर 102/288 (30) के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21, 22 तादादी 1.518 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता का खाता अलग-अलग कायम कर रकबाजात अलग कायम फरमाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत हो, वादी के पक्ष में प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए समन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 20.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किए गए पक्षकारों की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि मिकरान आपस में पिता–पुत्र व पुत्रियां है। मिकर-वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता तथा मिकर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. श्री शेर सिंह पुत्र श्री बिशनसिंह की व मिकर–प्रतिवादी संख्या 1 गुरलाल सिंह की चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 124/112, 125/21, 126/115, 127/116 में कुल 13.536 हैक्टर भूमि दर्ज थी जो कि मिकर–वादी गोविन्द सिंह के पिता मिकर–प्रतिवादी संख्या 1 गुरलाल सिंह को स्व. शेर सिंह के फौत होने के उपरान्त व स्वयं के नाम उक्त खातों में से पत्थर नम्बर 101/288 (29) के किला नम्बर 21 तादादी 0.253 हैक्टर, पत्थर नम्बर 102/288 (30) के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21, 22 तादादी 1.518 हैक्टर, पत्थर नम्बर 101/289 (41) के किला नम्बर 1 से 4 तादादी 1.012 हैक्टर पत्थर नम्बर 98/290 (45) के किला नम्बर 2/2 में 0.152 हैक्टर कुल तादादी 2.935 हैक्टर मय गैरमुमकिन रास्ता विभाजन प्राप्त हुई थी जो कि खाता संख्या 48/41 में मिकर-प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें मिकर–वादी का जन्म से हक व अधिकार होना प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करता है तथा मिकरान–प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रश्नगत भूमि कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना हक व हिस्सा अपने पिता–भाई के त्याग करने में सहमत है। इस लिहाज से मिकरान का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है जो निम्नलिखित अनुसार है :–

(क) वादी के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
102/288	(30)	1, 10, 11, 20, 21, 22	1.518 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता

(ख) प्रतिवादी संख्या संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :–

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
101/288	(29)	21	0.253 हैक्टर
101/289	(41)	1 से 4	1.012 हैक्टर
98/290	(45)	2/2	0.152 हैक्टर

कुल भूमि :– 1.417 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

भिकरान उपरोक्तानुसार प्राप्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान किये जाने में सहमत है तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने में तथा मुताबिक बंटवारा खाता विभाजन की डिक्री प्रदत्त किये जाने में सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा भिकरान ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा व विवेक से निष्पादित कर दिया है सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे ।

राज पैरोकार द्वारा स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नही होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरलालसिंह के नाम चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 44/43 की 2.935 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लगातार 5

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 44/43 की 2.935 हैक्टर भूमि मे से वादी को 1.518 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकरवादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी गोविन्द सिहं पुत्र श्री गुरलाल सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 10, पुरूषोतमबास (फतेहगढ) तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
23 एच.एम.एच.	44/43	102/288 (30)	1, 10, 11, 20, 21, 22	1.518 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता

2. प्रतिवादी संख्या 1 गुरलाल सिहं पुत्र स्व. श्री शेर सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमवास (फतेहगढ) तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
23 एच.एम.एच.	44/43	101/288 (29)	21	0.253 हैक्टर
		101/289 (41)	1 से 4	1.012 हैक्टर
		98/290 (45)	2/2	0.152 हैक्टर
कुल भूमि :– 1.417 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता				

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलैक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 245/2019

1 गोविन्द सिहं पुत्र श्री गुरलाल सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 10, पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 गुरलाल सिहं पुत्र स्व. श्री शेर सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 समनदीप कौर (पुत्री श्री गुरलाल सिहं) धर्मपत्नि श्री जसविन्द्र सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 3 नन्दराम की ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 रमनदीप कौर (पुत्री श्री गुरलाल सिहं) धर्मपत्नि श्री जसकरण सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 3 अयालकी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 08.2019

वादी की और से श्री अशोक कुमार भादू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और से श्री अमरजीतसिंह सन्धु अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 03.08.2018 को कपिल यादव आर ए एस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 23 एच.एम.एच. के खाता संख्या 44/43 की 2.935 हैक्टर भूमि में से वादी को 1.518 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकरवादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी गोविन्द सिहं पुत्र श्री गुरलाल सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी वार्ड नम्बर 10, पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
23 एच.एम.एच.	44/43	102/288 (30)	1, 10, 11, 20, 21, 22	1.518 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता

2. प्रतिवादी संख्या 1 गुरलाल सिहं पुत्र स्व. श्री शेर सिहं, जाति कुम्हारसिख, निवासी पुरूषोतमबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
23 एच.एम.एच.	44/43	101/288 (29)	21	0.253 हैक्टर
		101/289 (41)	1 से 4	1.012 हैक्टर
		98/290 (45)	2/2	0.152 हैक्टर
कुल भूमि :– 1.417 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता				

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 03.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प			

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 16:24:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: